

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल [jdpl-ta-rj@nic.in](mailto:jdpl-ta-rj@nic.in))

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (वाई-289/94)(लिंक नं. 6115)/ अलेसे-11/ 9.5-912 दिनांक :- 13-12-19

कार्यालय आदेश

श्री योगेश, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय- अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर ने नाम परिवर्तन की सूचना राजस्थान राज-पत्र दिनांक 01 नवम्बर, 2018 भाग सं. 7, अंक 31, पृष्ठ सं. 2182 में प्रकाशित होने तथा बन्ध पत्र की सूचना का दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति संस्करण में दिनांक 02.04.2019 के अंक में प्रकाशित होने पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 8 (क) के निर्णय 5 के अनुसरण में उनका नाम “योगेश” के स्थान पर “योगेश ओझा” किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

भविष्य में “योगेश” के स्थान पर “योगेश ओझा” के नाम से जाना जावेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (वाई-289/94)(लिंक नं. 6115)/ अलेसे-11/ 9.5-912 दिनांक :- 13-12-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।
2. कोषाधिकारी, जोधपुर (शहर)।
3. श्री योगेश ओझा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय, कोष एवं लेखा।
- ✓ 5. उप निदेशक, ए.सी.पी. हाजा।
6. पदस्थापन सीट / गोपनीय शाखा / वरिष्ठता सीट।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)